नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जिले में नाम निर्देशन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने कार्यालय व समय किए गए हैं निर्धारित

समवेत शिखर संवाददाता

बालोद। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु आज से नाम निर्देशन की कार्यवाही नगरीय निकायों में शुरू हो गई है।

नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु 22 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक (25 जनवरी 2025 एवं 26 जनवरी 2025 सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) नाम निर्देशन की कार्यवाही की जा रही है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 दोपहर 03 बजे तक नियत है। नाम निर्देशन पत्रो की सवींक्षा जाँच 29 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 दोपहर 03 बजे तक नियत है एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीको का आबंटन 31 जनवरी 2025 को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा।

नाम निर्देशन हेतु जिले के नगरीय निकायों में स्थान का निर्धारण किया गया है। जिसमें नगर पालिका परिषद बालोद के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद निर्धारित है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दल्लीराजहरा, नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय नगर पंचायत गुरूर, नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुण्डरदेही, नगर पंचायत अर्जुन्दा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु न्यायालय तहसीलदार अर्जुन्दा, नगर पंचायत डौण्डीलोहारा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डीलोहारा, नगर पंचायत डौण्डी के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डौण्डी, नगर पंचायत चिखलाकसा के अध्यक्ष व पार्षद पद हेतु कार्यालय नगर पंचायत चिखलाकसा निर्धारित किया गया है। उक्त कार्यालयों में रसीद काउण्टर, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का काउण्टर बनाया गया है साथ ही मतदाता सूची का अवलोकन हेतु काउण्डर लगा है। नाम निर्देशन पत्र हेतु जमानत राशि पार्षद के लिए 1000 रूपए एवं अध्यक्ष के लिए 10000 रूपए है । जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी का 50 प्रतिशत छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन का समय प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 03 बजे तक हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 हेतु मतदान 11 फरवरी 2025 को प्रातः 08 बजे से शाम 05 बजे तक किया जाएगा।

कांग्रेस में अंगद की माफिक बैठे लोगों के नेतृत्व में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत हासिल करने की बात बेईमानी है

समवेत शिखर संवाददाता

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनाव होना लगभग लगभग तय माना जा रहा है।इसी परिपेक्ष में देश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में होने वाले चुनाव को लेकर कोई भी उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। कई स्थानों पर तो कांग्रेसजनों में तालमेल का अभाव है।स्थिति यह है कि नेताओं की चाटुकरिता करने के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं।तो फिर आपस में संवाद करने की बात तो बहुत दूर होगी।विधानसभा चुनाव हारने के बाद में पराजय का स्वाद चखने के बाद भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संगठन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो पाया है। जिसको लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा स्वाभाविक है।कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने कांग्रेस की पराजय के पटकथा लिखी थी। उनके खिलाफहाईकमान कार्यवाही करने में ना नुकुर कर रहा है। कार्यवाही को लेकर हाई कमान कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रभारी बदलने के बाद काफी बदलाव होगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय में सहयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी चुनाव के दौरान प्रत्याशी चयन के विषय पर काफी गड़बड़ियां सामने आई है। हाई कमान के फैसले को अपने तरीके से बदल गया है।जिसकी वजह से ही जीत हासिल करने वालों को किनारे कर दिया गया और प्रत्याशी चयन में भाई भतीजावाद बहुत हद तक चला था। उसे समय कहा गया था कि संगठन की जिम्मेदारी संभालने वालों को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, परंतु उसबातको नजरअंदाज करके जिले में कांग्रेस अध्यक्षों को प्रत्याशी बनाया गया और बनाया गये वे सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में इस तरह के बदलाव करने वालों के खिलाफकड़ी कार्यवाही को लेकर कार्यकर्ताओं को बीच काफी उत्सुकता थी। कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बदलाव करने की बहुत सारी बातें विगत दिन हुई है। परंतु उस पर जमीनी स्तर में किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है।जिसकी वजह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मे हाईकमान के फैसलों को लेकर काफी आक्रोश है।छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि नए प्रभारी आएंगे और कांग्रेस में बदलाव हो जाएगा। प्रदेश के प्रभारी भी आ गए घूम-घूम के मिलकर चले गए।लेकिन बदलाव की कोई भी सुगबुगाहट नहीं हो पाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां की गई है। और उन गड़बड़ियों को अंजाम देने वाले आज भी यथावत रूप से पदों पर कायम है।और उनके सहारे नगरी निकाय एवं पंचायत चुनाव को जीतना नामुमकिन है। संगठन में लंबे समय से अंगद की तरह कब्जा जमाये लोगों को हटाए जाने की बात लगातार हो रही थी। परंतु वह जमीनी स्तर पर अमल नहीं हो पाई है। और उन्हीं के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने की बात फिर से हो रही है। जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही है।ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता घर बैठने पर विवश होंगे। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कार्यवाही भी हो रही है, कुछ लोग जेल की सींखचो के पीछे भी पहुंच गए हैं।और भविष्य में कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ भी कार्यवाही होने की पूरी संभावना बन रही है।जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी बुरी स्थिति से गुजर रही है उसके बाद भी अगर दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं की आंख ना खुले, तो फिर छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने की बात मुगेरीलाल के हसीन सपने के बात ही साबित होगी।

पुरुर (मिर्रीटोला) में परम पिता श्री ब्रह्मा बाबा का 56वां पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया

समवेत शिखर संवाददाता

बालोद। सरस बहन जी, रुद्री सेंटर की संचालिका ब्रह्माकुमारी जागृति बहन, ग्रामीण पटेल कीर्तन माला पटेल जी, ग्रामीण प्रमुख चिंताराम साहू जी, सदन में कार्यरत शंकर लाल साहू जी, नरेश साहू जी तथा मोहिनी साहू जी, सचिव एवं समस्त ग्रामवासी भाई बहनें, शशि कला बहन, आरती बहन, गिरीश भाई, निवेश भाई आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पुरुर सेंटर से स्वाति बहन, मुंलेश्वरी बहन, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पधारे ब्रह्माकुमारी राज योगिनी ब्रह्माकुमारी सरह बहन जी ने कहा कि,,,आप सभी ग्रामीण भाई बहनों का ईश्वरी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ।आज हम तपस्या मांस पूरे महीने मनाते हैं जिसमें खास दिन होता है 18 जनवरी से 21 जनवरी तक और यह मास ÷'वतन मेरा घर÷÷ अभी हमारी तपस्या की थीम चल रही है ।

पिता श्री ब्रह्मा बाबा का जन्म जन्म 15 दिसंबर 1876 में हुआ, बचपन का नाम लेखराज जो कुशाग्र बुद्धि, ईमानदार, वफादार थे । परमात्मा मिलन की ईतनी लगन थी कि अपने जीवन काल में 12 गुरु बनाएं । 1936 में नई सतयुगी दुनिया, पुरानी विनाश का साक्षात्कार हुआ । वर्ष 1950 में संस्थान माउंट आबू स्थानांतरण के बाद इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। 147 देशों में 9000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र संचालित है । आज भी 10 लाख भाई-बहनें पूर्ण रूप से स्टडी करते हैं, 60 वर्ष की उम्र में परमात्मा का दिव्या सच का साक्षात्कार हुआ । 18 जनवरी 1969 में 93 वर्ष की आयु अव्यक्त हुए । ब्रह्मा बाबा और आज पूरे विश्व में 56 वीं पुण्य स्मृति दिवस पुरे विश्व में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई । मुख्यालय माउंट आबू शांतिवन में देश-विदेश से पहुंचे 30 हजार से अधिक लोग पहुंचे जो मौन साधना से पुष्पांजलि अर्पित किया । रुद्री सेंटर की संचालिका जागृति बहन ने कहा कि परमात्मा आकर हम सभी आत्माओं को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, यह स्थान बना हुआ है आप सभी के कल्याण के लिए , तो ग्रामवासी भाई बहनों से भी निवेदन करती हूं कि आप यहां पर चाहे आधा घंटा चाहे एक घंटा हो आप यहां पर अवश्य परमात्मा का ज्ञान सुने। ग्रामीण पटेल जी ने कहा कि हम सभी आज से संकल्प करते हैं कि जगत नियंत परमपिता परमात्मा को 24 घंटा में से एक घंटा आधा घंटा अवश्य देंगे, चुंकि मैं भी बचपन से ही शिव का परम भक्त हूं।

14 लाख का मकान 3 में लाख में अच्छे लोकेशन पर प्रधानमंत्री आवास का आबंटन किया जाएगा

समवेत शिखर संवाददाता

भिलाईनगर। शासन की जनकल्याणकारी योजनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन हितग्राहियों को आवास का आबंटन किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे नागरिक जो झुग्गी एवं गैर झुग्गी बस्ती में निवास करते है या जो किराये के मकानों पर अपना जीवन निर्वहन कर रहे है।

उन नागरिको को प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानो का सुविधा दिया जाता है। यह मकान अच्छे लोकेशन पर अगर हम प्राइवेट बिल्डर से खरीदेंगे 13 से 15 लाख में मिलेगा जिसको शान द्वारा 3 लाख में दिया जा रहा है । इसकी दिवाली कंक्रीट की बनी है। खीला तक नहीं घुसता है। 2 किलोमीटर पर मॉल, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पुलिस थाना, बाजार, सड़के, पहुंच मार्ग, खेलकूद की सुविधा, लाइट, पानी, अटैक किचन, लैट्रिंग ,बाथरुम सब कुछ उपलब्ध है। शासन द्वारा जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है वे इस योजना का लाभ ले सकते है।

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने भिलाई क्षेत्र के आवासहीन नागरिको से कहा है, कि जिन हितग्राही के पास स्वयं का मकान नहीं है, उन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन के नियमानुसार मकान का आबंटन किया जा रहा है। मकान प्राप्त करने के लिए महत्वूपर्ण दस्तावेज जैसे- नागरिक 31 अगस्त 2015 से पूर्व निवासरत हो जिनका (मतदाता सूची/किरायानामा/निवास प्रमाण/जनगणना 2011 की सूची में नाम), हितग्राही का भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। जिन हितग्राही के पास सभी दस्तावेज हो वह हितग्राही इस योजना का लाभ ले सकते है।

माइल स्टोन स्कूल के पास खम्हरिया में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। जिसमें 521 परिवारो को आवास दिया जायेगा। एक मकान की लागत 4.48 लाख है, जिसमें केन्द्र शासन का अंशदान 1.50 लाख एवं हितग्राही अंशदान 2.98 लाख है। जो हितग्राही 2.98 लाख का 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करते है उन्हे ही लाटरी में शामिल कर मकान का आबंटन किया जायेगा। वरिष्ठ एवं दिव्यांगजन आवेदको के लिए भू-तल के आवास आरक्षित रखा गया है। हितग्राही अपनी इच्छा के अनुरूप आवेदन कर आवास का लाभ उठावें।

न्यायालय तहसीलदार, गोबरा नवापारा तहसील नवापारा, जिला रायपुर छ.ग.)

// ईश्तहार //

क्रमांक/क्यू. वा-0/ तह./2024-25 नवापारा दिनांक 20/01/2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित कियाजाता है कि आवेदक **दीनदयाल अवसरिया पिता स्व. केशव अवसरिया निवासी ग्राम गोबरा नवापारा, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर** (छ.ग.) ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदक के **माता मृत्यु दिनांक 20/01/2011** को **ग्राम गोबरा नवापारा** में हुआ है। जिसके संबंध में भूलवश नगर पालिका परिषद **गोबरा नवापारा** में दर्ज नहीं करा पाया। जिसके संबंध में आवेदक अपने **माता-बिसाहीन बाई अवसरिया पति केशव अवसरिया मृत्यु प्रमाण पत्र** बनाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी सुनवाई **दिनांक 28/01/2025** को नियत है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अधिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में आये दावा आपत्ति परविचार नहीं किया जावेगा।

आज **दिनांक 20/01/2025** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया है।

मुहर

कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
गोबरा नवापारा

न्यायालय तहसीलदार, गोबरा नवापारा तहसील नवापारा, जिला रायपुर छ.ग.)

// ईश्तहार //

क्रमांक/क्यू. वा-0/ तह./2024-25 नवापारा दिनांक 10/01/2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित कियाजाता है कि आवेदक **राजू राम साहू पिता स्व. दुकालू राम निवासी ग्राम छांटा तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर** (छ.ग.) ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदक के **माता मृत्यु दिनांक 15/07/2004** को **ग्राम छांटा** में हुआ है। जिसके संबंध में भूलवश पंचायत पंजी **छांटा** में दर्ज नहीं करा पाया। जिसके संबंध में आवेदक अपने **माता-खीरबाई साहू पति दुकालू राम मृत्यु प्रमाण पत्र** बनाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी सुनवाई **दिनांक 28/01/2025** को नियत है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अधिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में आये दावा आपत्ति परविचार नहीं किया जावेगा।

आज **दिनांक 10/01/2025** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया है।

मुहर

कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
गोबरा नवापारा

भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित

समवेत शिखर संवाददाता

राजनांदगांव। संघ कार्यालय पटेल पारा राजनांदगांव में दोपहर 2:00 बजे भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा जिले में बैठक रखी गई जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह संगठन मंत्री तुलाराम एवं कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में राजनांदगांव जिला कार्यकारिणी की गठन की गई जिसमें जीवन कॉलोनी निवासी शैलेंद्र सिंह को अध्यक्ष पद की एवं ईश्वर चंद्र श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष साथ ही टुकेश्वर साहू को मंत्री ईश्वर साहू युवा प्रमुख सहित कुंती साहू रोहित साहू राय सिंह वर्मा यशवंत साहू छबिलाल यादव पद्म भूषण साहू अशोक देवांगन को अन्य पदों पर दायित्व सौपा गया।

गुणवत्ता जांच हेतु सरसों तेल का नमूना लिया गया

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और जांच के लिए खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए जा रहे है। इसी क्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा ब्रांडेड एवं लोकल खाद्य सरसों तेल के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए जा रहे है।

हत्या का प्रयास करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

भिलाईनगर। आवेदिका शशि देवी साह पति विरेन्द्र साह उम्र 35 साल साकिन उमरपोटी रोड स्टेशन मरोदा थाना नेवई जिला दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया के पति विरेन्द्र साह द्वारा चरित्र पर शंका कर झगडा विवाद एवं मारपीट करता रहता था दिनांक 23-12-2024 को भी प्रार्थिया के पति विरेन्द्र साह द्वारा अश्लील गालौच करते जान से मारने की धमकी देकर हत्या करने की नियत से, ईट से प्रार्थिया के सिर में लगातार वारकर चोट पहुंचाकर भाग गया, जिससे प्रार्थिया के सिर में गंभीर चोट आने से इलाज हेतु जिला अस्पताल दुर्ग ले गये। जहां से रिफ्र करने पर शंकरा अस्पताल जुनवानी में उच्च् इलाज हेतु भर्ती कराये है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना मुर्त0 शशि देवी के मुलाहिजा रिपोर्ट एवं गवाहों के कथन पर आरोपी पति द्वारा प्रार्थिया पत्नि को हत्या करने कि नियत से गंभीर चोट पहुंचाना पाये जाने से प्रकरण में धारा 109 बीएनएस जोडी गई

चालकों का कैंप लगाकर यातायात नियमों के संबंध विस्तृत जानकारी दी

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर आम नागरिकों यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा जागरूक

समवेत शिखर संवाददाता

बेमेतरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर बेमेतरा पुलिस आम नागरिको यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा हैं जिसके तहत पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा (एसडीओपी) मनोज तिर्की एवं बेमेतरा यातायात पुलिस द्वारा यातायात पुलिस बेमेतरा कार्यालय परिसर में ई-रिक्शा/आंटो/पीकप वाहन चालको का कैंप लगाकर ÷अंजोर रथ÷ के माध्यम से यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया।

जिसमें ई-रिक्शा/आंटो /पीकप वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने, सिग्नल चौक में लगे सिग्नल का पालन करने, सिग्नल जंप नहीं करने, शराब सेवन कर वाहन न चलाने, नो पार्किंग में वाहन खडी न करने, हाटल, ढाबा के समने रोड किनारे वाहन खडी ना करने, पार्किंग स्थल पर ही वाहन खडी करने, संयमित गति से वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग नहीं करने,यातायात सड़क संकेत तथा किसी भी वाहन को चलाने के लिए उस वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड, इन्श्योरेंस एवं स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना आवश्यक है, तथा इन सब में से एक के भी अभाव में कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है इस संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बेमेतरा (एसडीओपी) मनोज तिर्की एवं बेमेतरा यातायात पुलिस प्रधान आरक्षक दुष्यंत ठाकुर व अन्य स्टाफएवं बेमेतरा शहर के ई-रिक्शा/आंटो /पीकप वाहन चालक गण उपस्थित रहे।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल)
विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना
एआरसीआईएल ऑफिस : द रूबी, 10वां फ्लोर, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028,
ब्रांच ऑफिस : रूम नं. 1001, 10वां फ्लोर, सिग्नेट टॉवर, डीएन-2, सेक्टर-5, साल्ट लेक, कोलकाता-700091, पश्चिम बंगाल
टेलीफोन : 03348226608, Website : https://auction.arcil.co.in, CIN-U65999MH2002PLC134884

Arcil Premier ARC

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित, ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो विभिन्न **एआरसीआईएल** ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट करार के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार) **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** के पास बंधक/प्रभारित हैं, को **'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है', 'जो कुछ भी है' तथा 'बिना किसी सहारे के'** ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से, आगे के ब्याज, प्रभारों तथा लागतों आदि सहित बकाया राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जैसा कि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (÷नियम÷) के नियम 6, 8 तथा 9 के साथ पढ़ा जाएं।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और बेचने वाला बैंक	ट्रस्ट नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक : 27-03-2018 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्रफल	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
उधारकर्ता : दुष्यंत देवांगन/ शिव कुमारी देवांगन	20008510002490 (Bandhan Bank)	एआरसीआईएल-2024सी ट्रस्ट	23,44,029.31 रुपए (तेईस लाख चवालीस हजार उनतीस रुपए और इकतीस पैसे मात्र) 27 मार्च 2018 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	भौतिक 10 नवंबर 2022 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड भूमि और उस पर निर्माण (भूमि 600 वर्ग फीट)	1,37,700/ रुपए (एक लाख सैंतीस हजार सात सौ रुपए मात्र)	13,77,000/ रुपए (तेरह लाख सत्तहतर हजार रुपए मात्र)	11 फरवरी 2025 को दोपहर 2.00 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण : दुष्यंत देवांगन के स्वामित्व वाली संपत्ति : अचल संपत्ति भूमि और निर्माण : 600 वर्ग फीट (भूमि) माप: - अचल संपत्ति के वह सभी हिस्सा एवं खंड जो मौजा- मठपुरैना, रावतपुरा नगर, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, वार्ड नं. 52, कंडिका नं. 5, प.ह.नं. 105/61, आर.एन.एम. रायपुर 1, खाता क्र. 296, नया खाता क्र. 296, हिस्सा 3, नया खसरा नं. 99/72, 100/15, 101/15, 102/15, रावतपुरा नगर, तहसील एवं जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है और निम्नानुसार घिरे हुए हैं: उत्तर : मनमोहन की संपत्ति, दक्षिण: सड़क, पूर्व: इंद्रजीत कुमार की संपत्ति, पश्चिम: सतीश कुमार पदमबार की संपत्ति।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और बेचने वाला बैंक	ट्रस्ट नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक : 02-01-2020 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार और तारीख	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्रफल	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
उधारकर्ता : पी. जानकी राव/ श्रीमती गेडेला रत्नम	20008560000831 (Bandhan Bank)	एआरसीआईएल-2024सी ट्रस्ट	21,78,956/- रुपए (इकक्रीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ छप्पन रुपए मात्र) 02 जनवरी 2020 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	भौतिक 22 फरवरी 2023 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्रीहोल्ड भूमि और उस पर निर्माण (भूमि 1500 वर्ग फीट)	1,08,300/ रुपए (एक लाख आठ हजार तीन सौ रुपए मात्र)	10,83,000/ रुपए (दस लाख तिरासी हजार रुपए मात्र)	11 फरवरी 2025 को दोपहर 12.00 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण : पी. रत्नम पति पी. जानकी राव के स्वामित्व वाली संपत्ति : अचल संपत्ति भूमि और निर्माण : 1500 वर्ग फीट (भूमि) माप: - अचल संपत्ति के वह सभी हिस्सा एवं खंड जो खसरा नं. 882/109 में स्थित है, ग्राम- अछोली, प. ह. नं. 22, आर.एन.एम. डोंगरगढ़, तहसील- डोंगरगढ़ एवं जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और निम्नानुसार घिरे हुए हैं: **उत्तर :** सड़क, **दक्षिण:** शासकीय तालाब, **पूर्व:** अरविंद कौर की जमीन, **पश्चिम:** अरविंद कौर की जमीन।

एआरसीआईएल को ज्ञात लंबित मुकदमे : शून्य	RTGS details : Account Name- Arcil 2024C-004-Trust: A/c No. 57500001409112 : IFSC Code : HDFC0000542, Maintained with- HDFC
एआरसीआईएल को ज्ञात भार/बकाया: शून्य	
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पहले	संपर्क व्यक्ति का नाम और नंबर : महेश बंगेरा-9004173256 (mahesh.bangera@arcil.co.in) शैलेष गायकवाड़-9867929121
बोली वृद्धि राशि : बोली दस्तावेज़ में उल्लेखित अनुसार	
डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनाया जाना चाहिए: एआरसीआईएल 2024सी-004-ट्रस्ट, सममूल्य पर देय	(shailesh gaikwad@arcil.co.in) शत्रुघन-9570774774 (satrughan@arcil.co.in

नियम और शर्तें

1. नीलामी बिक्री की सलाह वेबसाइट **https://arcil.co.in** के माध्यम से और बोली दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जा रही है।
2. अधिकृत अधिकारी (एओ) **एआरसीआईएल** को कनेक्टिविटी नेटवर्क नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली की विफलता आदि के लिए ईसॉन्सीबी नहीं भेजा जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में एओ बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द कर सकता है या ऑटो को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता बोलीदाता किसी भी वैधानिक बकाया, शुल्क और जीएसटी पर देय शुल्क वहन करेगा। खरीद पर सहमति, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि। लागू कानून के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में वितरित करने के लिए भुगतान करना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, सुरक्षित संपत्ति के शीर्षक और दावा/प्रतिभूति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति, वैधानिक बकाया आदि सहित। नीलामी विज्ञापन **एआरसीआईएल** की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। **एआरसीआईएल** का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, हालांकि अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7. उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को उपरोक्त नीलामी बिक्री की अवधि के बारे में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
8. यदि यहां ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो एआरसीआईएल को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से सुरक्षित संपत्ति बेचने का अधिकार है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23-01-2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड